बिहार सरकार
विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग

संकल्प

विभागीय संकल्प सं॰ 869 दिनांक 04.06.2003 द्वारा बिहार राज्य प्रावैधिकी शिक्षा पर्षद्, पटना को पुनर्गठित करते हुए उसका अवधि विस्तार दिनांक 24.07.2001 से 23.07.2004 तक तीन वर्षों के लिए किया गया था।

2. राज्य सरकार द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त बिहार राज्य प्रावैधिक शिक्षा पर्षद समिति को पुनः पुनर्गठित करने तथा उसका अवधि विस्तार दिनांक 24.07.2004 से 23.07.2007 तक तीन वर्षों के लिए करने का निर्णय लिया गया है।

3. पुनर्गठित समिति में निम्नांकित सदस्य होंगे :–

1.	विकास आयुक्त, बिहार, पटना	अध्यक्ष
2.	सचिव, विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, बिहार, पटना	सदस्य
3.	निदेशक, विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, बिहार, पटना	"
4.	उत्तरी क्षेत्रीय समिति अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा पर्षद् के प्रतिनिधि	सदस्य
5.	अभियंता प्रमुख, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना	"
6.	अभियंता प्रमुख या उनके प्रतिनिधि, बिहार राज्य विद्युत बोर्ड, पटना	"
7.	राजकीय पोलिटेकनिक के वरीयत्तम प्राचार्य	"
8.	सचिव, राज्य प्रावैधिकी शिक्षा पर्षद्, पटना	सदस्य सचिव
	<u>उद्योग के प्रतिनिधि</u>	
9.	सी॰ आई॰ आई॰, बिहार के प्रतिनिधि	"
10.	उधोग संघ, बिहार के प्रतिनिधि	"
	<u>गैर सरकारी सदस्य</u>	
11.	श्री ब्रहमदेव प्रसाद, पूर्व अध्यक्ष, बिहार राज्य विद्युत बोर्ड, पटना	"
12.	डॉ॰ एस॰ पी॰ सिन्हा, पूर्व प्राचार्य, एन॰ आई॰ टी॰, पटना	"

पर्षद के कृत्य एवं शक्तियाँ

1) विश्वविद्यालय शिक्षा और शिल्पी प्रशिक्षण को छोड़कर राज्य में सभी स्तरों पर तकनीकी शिक्षा से संबंधित विकास पर सरकार को सलाह देना।
2) अपने क्षेत्र में स्कीमें बनाने में अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा पर्षद और इसकी उत्तर क्षेत्रीय समिति के सम्पर्क में काम करना।
3) राज्य में तकनीकी शिक्षा देने के लिए मौजूदा संस्थानों का पुनर्गठन या विस्तार करने तथा नई संस्थानों को स्थापित करने और उसमें अतिरिक्त सुविधाओं की व्यवस्था करने के लिए सिफारिश करना।
4) तकनीकी शिक्षा संस्थाओं का संबंधन अभिज्ञात करना वशर्ते कि वे अपना सन्तोषप्रद स्टैण्डर्ड बनाए रखें और बोर्ड द्वारा विहित सिलेबस का पालन करें।
5) तकनीकी शिक्षा की विभिन्न शाखाओं के लिए बोर्ड नियुक्त करना।

6) डिप्लोमा प्रदायी अभियंत्रण तथा महिला औद्योगिक विद्यालयों के लिए पाठ्यक्रमों और शिक्षा स्तर साज सामान और भवन स्थान विनिहित करना।

7) इन संस्थानों को साहाय्य अनुदान का भुगतान करना।

8) इन संस्थाओं के लिए अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा पर्षद द्वारा विहित न्यूनतम स्टैण्डर्ड के अनुरूप परीक्षा संचालित करने डिप्लोमा तथा प्रमाण पत्र देने की व्यवस्था करना।

9) बोर्ड द्वारा संचालित परीक्षाओं के दौरान कदाचार और अनुशासनहीन कार्यों के लिए अनुशासनिक कार्रवाई करना।

10) संस्थाओं के आवधिक निरीक्षण की व्यवस्था करना और आवश्यकतानुसार उनके सुधार के लिए सरकार के पास सिफारिश करना।

11) तकनीकी शिक्षा विकास के लिए उद्योग के साथ सहयोग–संबंध स्थापित करना।

12) तकनीकी शिक्षा से संबंधित किसी अन्य विषय में सरकार को सलाह देना।

13) पर्षद को अपनी कृत्यों के पालन करने के लिये यथावश्यक तकनीकी विशेषज्ञों को सहयोजित करने की शक्तियाँ होंगी।

14) पर्षद को अपनी कृत्यों के पालन कराने में सहायता हेतु समितियों के गठन करने की शक्तियाँ होगी।

15) पर्षद अपने कार्य सम्पादन और कोरम आदि के संबंध में आवश्यक नियम बनायेगा। पर्षद की बैठक आवश्कतानुसार बारम्बार की जायेगी। किन्तु हर छः महीने में कम से कम एक बैठक अवश्य होगी। पर्षद द्वारा नियुक्त किसी स्थायी समिति के सभी गैर सरकारी की पदावधि यथास्थिति नियुक्ति या मनोनयन की तारीख से तीन वर्ष की होगी। परन्तु किसी निकाय विशेष के सदस्य या किसी नियुक्ति विशेष के धारक की हैसियत से नियुक्त या मनोनीत किसी सदस्य की सदस्यता उस निकाय का सदस्य या इस पद का धारक न रहने पर स्वतः समाप्त हो जायेगी। पर्षद के गैर सरकारी सदस्यों में से किसी आकस्मिक रिक्ति पर नियुक्त कोई व्यक्ति उस शेष अवधि तक ही पर्षद का सदस्य रहेगा जिस अवधि तक वह व्यक्ति जिसके स्थान में उसे रखा गया है सदस्य बना रहता।

पर्षद एवं समितियों के सरकारी सदस्य अपने विभागों से पर्षद की बैठक में शामिल होने के लिए यात्रा और अन्य भत्तों के हकदार रहेंगें। पर्षद एवं समितियों के गैर सरकारी सदस्यों को बिहार यात्रा भत्ता नियमावली में यथा विनिहित प्रथम कोटि के पदाधिकारियों को अनुमान्य यात्रा भत्ता का भुगतान किया जायेगा। गैर सरकारी सदस्यों के यात्रा भत्ता मद खर्च 2203–तकनीकी शिक्षा– 001 निदेशन और प्रशासन राज्य तकनीकी शिक्षा पर्षद में विकलनीय होगा। विधान मंडल के सदस्य सरकारी अधिसूचना 13592 दिनांक 31.10.75 के आधार पर यात्रा भत्ता एवं दैनिक भत्ता पायेंगें।

आदेश :– आदेश दिया जाता है कि सर्वसाधारण की जानकारी के लिए इस संकल्प को बिहार गजट के आगामी अंक में प्रकाशित किया जाय और इसकी एक–एक प्रति सभी संबंधित व्यक्तियों को भेज दी जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक— वि॰ प्रा॰ (III)व^2—37/2004   539   पटना, दिनांक...........04.05.2005.......

....

प्रतिलिपि :— अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि वे इसे बिहार गजट के अगले अंक में प्रकाशित कर उसकी एक—एक प्रति संबंधित व्यक्तियों को भेज देंगे।

ह॰/—

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक— वि॰ प्रा॰ (III)व^2—37/2004   पटना, दिनांक...

प्रतिलिपि :—महालेखाकार, बिहार, पटना/वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

ह॰/—

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक— वि॰ प्रा॰ (III)व^2—37/2004   पटना, दिनांक...

प्रतिलिपि :— 1. सचिव, राज्य प्रावैधिकी शिक्षा पर्षद्, बिहार, टेक्नोलॉजी भवन, पटना /पर्षद् के सभी सदस्यों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. सचिव, राज्य प्रावैधिकी शिक्षा पर्षद्, बिहार क्रमांक 4, 6, 8 तथा 9 में अंकित विभाग/कार्यालय से पत्राचार कर उनके द्वारा मनोनीत प्रतिनिधि के नाम की सूचना प्राप्त कर लेंगे।

ह॰/—

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक— वि॰ प्रा॰ (III)व^2—37/2004   पटना, दिनांक...

प्रतिलिपिः— महामहिम राज्यपाल, बिहार के सचिव/मुख्य सचिव सह विशेष परामर्शी, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

ह॰/—

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक— वि॰ प्रा॰ (III)व^2—37/2004   पटना, दिनांक...

प्रतिलिपिः— विभाग के सभी पदाधिकारियों/सहायकों /लिपिकों को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव